अज़ाने
क़ब्र
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा
www.jannatikaun.com

क़ब्र में लहेराऐंगे ता हश्र चश्मे नूर के
जल्वा फ़रमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की

(अर्ज़ :- आला हजरत)

- क़ब्र पर दफ़न के बाद अज़ान देना जाइज है या नहीं ?
- क़ब्र पर अज़ान देने की कोई दलील है ?
- क़ब्र पर अज़ान देने का मकसद क्या है ?
- क़ब्र पर अज़ान देने से क्या फ़ायदे है ?

इन तमाम सवालो का तफ़सीस से जवाब यानी हि स. १३०७ (११०, साल पहले) लिखि गई एतिहासिक किताब :-

"इज़ानुल-अज्रे-फि-अज़ानिल-क़ब्रे"

अज़ाने-क़ब्र

-: तसनीफ़ :-

अअ्ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादिरी
फ़ाज़िले बरैलवी (अलैहिर्रहमा)

-: बफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ्तिए अअ्ज़म हज़रत अल्लामा शाह
मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

प्रस्तावना

मैयत को दफ़न करने के वाद क़ब्र पर अज़ान देने के मस्अले पर हर जगह आज कल विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ने, आज कल उग्र रुप धारण कर लिया है । वहावी - तवलीगी जमाअत के अनूयायी इस विवाद के संदर्भ में आक्रमक तथा जनूनी वलण अपना कर क़ब्र पर अज़ान देने से लोगों को रोकते हैं, वल्कि झगडे का स्वरुप दे कर कब्रस्तान की निरप शांति, में आराम करनेवालों को भी ख़लल पहोंचाते हैं ।

क़ब्र पर अज़ान दने की प्रणालिका सदीयों से कौमे मुस्लिम में प्रचलित है । लैकिन उस "जाइज" और 'नेक' कार्य को वहाबी तबलीगी जमाअत के अनूयायी "ना-जाइज" तथा "षिदअत" कहे कर उस का भारी विरोध कर रहे है ।

क़ब्र पर अज़ान देना योग्य है या नहीं ? इस मस्अले में लोग द्विधा मे हैं । लेकिन माहितगार लोगोंको के लिए क़ब्र पर अज़ान देने के जाइज़ होने के वारे में कोई शंका नहीं । आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मोहद्दिषे वरेल्वी रदीअल्लाहो के समय में क़ब्र पर अज़ान देने के संदर्भ में वहावी और देववंदी वर्ग के अनूयायीओं ने वहूत हंगामा मचाया था । इमाम अहमद रज़ा से क़ब्र पर अज़ान देने के संदर्भ में सवाल पूछने में आया, तो आप ने "इज़ानुल - अज्र - फ़ी - अज़ानिल - क़ब्र" नाम की किताव स. हि. १३०७ में यानी आज से ११०, साल पहले लिख़ कर विरोध कर ने वालों को ख़ामोश कर दिया । इस किताव में आपने दलीलों के अंवार लगा दिये और क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ है, ये सावित कर दिया ।

उपरोक्त किताव आप ने स. हि. १३०७ में लिख़ि थी । जिसको प्रकाशित होने को आज़ ११० साल हो गए हैं । लेकिन आज तक वहावी - तवलीगी जमाअत के पेश्वा जवाव नहीं दे सके । ये वात इस वात की खुल्ली दलील है कि ये लोग जवाव लिखने की शकित नहीं रख़ते ।

इस किताब की ऊर्दू भाषा में **आज तक बाइस (२२) आवृति** और इस के गुजराती अनूवाद की पांच (५) आवृति प्रकाशन हो चूकी हैं । इस किताब का सौ प्रथम गुजराती अनुवाद मैं ने इ.स. १९७२ (२४, वर्ष पूर्व) किया था और खुल्ली चुनौती दी थी के इस किताब में वर्णन की हूइ दलीलें अगर कोई ख़ंडित कर देगा **तो उसे दस हज़ार (१०,०००) रुपये का इनाम दिया जायेगा** लेकिन आज तक वो चुनौती का किसी ने स्वीकार नहीं किया । वहाबी - तबलीगी जमाअत के अनूयायी दलीलों की रोशनी में इस किताब का जवाब देने में कायर पुरवार हुए हैं ।

इस किताब में **कुल १५ (पंदरह) दलीलों** में आला हज़रत, **इमाम अहमद रज़ा मोहद्दिषे बरेल्वी** ने कुरआन, हदीष तथा बुज़ुर्गाने दीन के कथनो द्वारा जो स्पष्टता की है और क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ पूरवार किया है, उसका ख़डन करने की अग़र विरोधी दल में शकित है, तो वो कुरआन, हदीष तथा अइम्म - ए - दीन की आधारभूत किताबों की मज़बूत दलीलें पैश कर के आला हज़रत की दलीलों का ख़ंडन कर दिख़ाऐं ।

दलील के मैदान में हमेंशा पीठ बता कर भागने की आदत रख़ने वाले वहाबी - तबलीगी पंथ के अनूयायी इल्मी बहेष (चर्चा) से मुंह मोड कर सिर्फ हडधर्मी, ज़िद तथा गुंडागर्दी का मार्ग अपना कर सिर्फ **"बिदअत है" - "बिदअत है"** की रट लग़ाते हैं और अपने दावे को सत्य पुरवार करने के लिए लड़ाइ - झग़डे का स्वरुप धारण कर के क़ब्र पर अज़ान देन से रोकने की चेष्टा करते हैं । जब उनसे पुछने में आता है कि जनाब । आप क़ब्र पर अज़ान देने से क्यूं रोकते हैं ? तो वो सिर्फ यही प्रत्युत्तर देते हैं कि ये विदअत है । और शरीअत में इस का कोइ सुबूत नहीं है । इस के इलावा इन के पास अेक भी ऐसी दलील नहीं है कि जिस से पुरवार होता हो कि क़ब्र पर अज़ान देना "ना - जाइज़" तथा "मना" हो ।

हाल में दिनांक ७-८-१९९६ से १२-८-१९९६ तक मैं महाराष्ट्र राज्य के परभनी जिल्ले के गंगाख़ेड, सायगांव, कंधार, मोमीनाबाद (अंबा जोगाइ) शहरो में तकरीर के प्रोग्राम पर गया था । यहां पर यही अज़ाने क़ब्र का मस्अला विवादास्पद था । वहावी - तबलीग़ी पंथ के अनूयायी इस

मस्अले के संदर्भ में जनूनी वलण अपनाए हुए थे और वातावरण गरम था। दिनांक ११-८-९६ तथा १२-८-९६ दो दिन मैं ने गंगाखे़ड में इस मस्अले पर अपनी तकरीर में गुफ़तगू की और क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ और मुस्तहब साबित किया और चुनौती भी दी के "ना - जाइज़" कहने वाले अपनी दलीलें पैश करें। हालांकि मज़लिस में बहूत सारे तबलीगी लोग़ थे लेकिन सब ख़ामोश रहे। इस मज़लिस में **आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा** की ये किताब मैं ने रजू की थी और वचन दिया था कि इन्शाअल्लाह टूंक समय में इस को हिन्दी अनूवाद में प्रकाशन करेंगे। उस वचन (वादे) को 'वफ़ा' करते हुए ये किताब हिन्दी अनूवाद के स्वरुप में इस वक्त आप की सेवा में प्रस्तुत कर के आनंद की लागणी अनुभव कर रहा हूं।

अंत में वांचक वर्ग से नम्र विनंती है कि इस किताब का आरंभ से अंत तक एक चित्त से वाचन करने के बाद एकांत में इस पर चिंतन तथा मनन करके स्वयं अपने दिल से प्रश्न करें कि क्या ये नेक और मुस्तहब काम कभी "ना - जाइज़" हो सकता है ? तो खूद तुम्हारे दिल से यही आवाज़ आयेग़ी कि जाइज़ है।.......बेशक जाइज़ है।

जो लोग़ दफ़न के बाद क़ब्र पर अज़ान देने को मना और विदअत कहेते हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहेना है कि जो तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस किताब में रजू की गइ दलीलों को इस के जैसी ही मजबूत दलीलों द्वारा ख़ंडित कर के दिखा दो। अन्यथा अधर्मी, पक्षपात तथा पुर्वग्रह जैसे दुषाणों को तिलांजली दे कर, सत्य का स्वीकार करने में एक पल का भी विलंब न करें। इसी में हमारे लिए दुनिया और आख़ेरत की भलाइ है।

खुदा सब मुसलमानों को इमान की सलामती के साथ नेक अमल करने की तथा सत्य (हक) का स्वीकार करने की नेक तौफ़ीक़ अत्ता फ़रमाए।

नागपूर

दि. २३-८-१९९६

'आमीन'

बारगाहे 'रजा' का अदना सवाली

अब्दुस्सतार हबीब हमदानी - पोरबंदर

(बरकाती - रज़वी - नूरी)

अज़ाने - क़ब्र

सवाल :-

क्या फरमाते हैं ओलोमा - अे - दीन इस मरअले में कि दफन के समय क़ब्र पर जो अज़ान कही जाती है, वो शरअन जाइज़ है या नहीं?

जवाब :-

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

"नह्मदोहु - व - नुसल्ली - अला - रसूलेहिल - करीम"

कुछ ओलोमा - अे - दांन नें क़ब्र में मैयत को रख़ने के समय अज़ान देने को सुन्नत फरमाया है जैसे की अल्लामा इब्ने हज़र मक्की तथा अल्लामा ख़ैरुल मिल्लते वद्दीन रमली ने अपनी किताव "शरहे अबाव" तथा "हासिया वेहरुरॉइक" में वर्णन किया है ।

उपरोक्त प्रश्न में जिस अज़ान के संदर्भ में पूछा गया है ऊस का जाइज़ होना निःशंक है । शरीअते मुतह्हरा में उस के मना होने पर हरगिज़ कोई दलील नहीं । और जिस कार्य से शरीअत ने मना न किया हो, वो कार्य कदापी मना नहीं हो सकता । फ़कत यही एक दलील क़ब्र पर अज़ान देना जाइज़ होने के लिए काफ़ी है । जो लोग क़ब्र पर अज़ान देने को मना करते हैं, वह शरीअत से अपना दावा पुरवार कर दिखाअें ।

यहां दलीलों के मैदान में आ कर मैं अनेक दलीलों से क़ब्र पर अज़ान के योग्य होने को शरीअते मुतह्हरा से पुखार कर सकता हूं । निम्न में चंद दलीलें आप की सेवा में प्रस्तूत हैं ।

दलील नं. १

प्रचलित है कि जब बन्दे को क़ब्र में रख़ा जाता है, और "मुनकर - नकीर" सवाल करते है, तब मरदुद - "शैतान" यहां भी विअैप् ड़ालता है और जवाव देन में वेहकाता है ।

इमाम तिरमिजी मुहम्मद इब्ने अली अपनी किताव **"नवादेरुल**

- **वुसूल**' में इमामे अज़ल, हज़रत सुफ़ियाने सूरी (रहेमतुल्लाह अलैह) से रिवायत करते हैं कि :-

"जब मुर्देसे सवाल होता है कि "तेरा रब कौन है ?" तब शैतान आता है और अपने, प्रति इशारा करता है कि "मैं तेरा रब हूं" ! इसी लिए हम को आदेश दिया गया है कि मैयत जवाब में साबित कदम (अडग) रहे इस लिए दुआ करनी चाहिये ।"

इमाम तिर्मीज़ी फरमाते हैं कि :-

ऐसी हदीषें समर्थन करती हैं कि जिन हदीषों में वर्णन है कि हूज़ूर सल्लल्लाहो अलैह' वसल्लम मैयत को दफ़न करते समय दुआ करते थे कि "इलाही ! इसे शैतान से बचा ।" अगर जो क़ब्र में शैतान का दख़ल (हस्तक्षेप) नहीं है तो **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने ये दुआ क्यूं की ?

सहीह हदीषों से पुरवारहै कि अज़ान से शैतान दफ़ा (दूर) होता है ।

हदीष :- सहीह बुख़ारी तथा मुस्लिम विगरे' में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्होसे रियायत है कि **हूजूरे अकदस** सल्लल्लाहो तआला अलैह वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि :-

"जब मुअज़्ज़ीन अज़ान कहेता है तब शैतान अपनी पीठ घूमा कर वायू (हवा) छोड़ता हुआ भागता है"

हदीष :- सहीह मुस्लिम शरीफ की हदीष में हज़रत ज़ाविर रदीअल्लाहो अन्होसे रियायत है कि **हूजुरे अकदस** सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि :-

"जब अज़ान होती हैं तब शैतान छत्तीस (३६) माईल (मिल) तक दूर भाग जाता है ।"

हदीष :- इमाम अबूल कासिम सुलयमान इब्ने अहमद तिब्रानी ने अपनी मरहूर किताब "अवराते - मआजीम" में हज़रत अबू - हूरैरा रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा पुरवार किया है कि हदीष में आदेश दिया गया है कि :-

"जब शैतान का ख़टका (संदेह) हो, तो तूरत ही अज़ान कहो, वह ख़टका दफ़ा (नष्ट) हो जायेगा ।"

मैं ने अपनी किताव **"नसीमुल - सबा - फी - अन्नल - अज़ाना - यह्वेलुल - वबा"** में इस संदर्भ की अनेक हदीषें वर्णन की हैं ।

जब यह पुरवार हो गया कि दफ़न के समय शैतान दख़ल देता है और अज़ान से शैतान भागता है । हदीष का आदेश है कि शैतान को दफा करने (भगाने) के लिए अज़ान कहो ।

तो यह अज़ान के जो क़ब्र पर देने में आती है, वह हदीषों से अनुमानित कर के ही दी जाती है, वल्के नवी के हुकम के मुताबिक है । यह अज़ान देने से मुसलमान भाई (मैयत) की मुनकर - नकीर के प्रश्नों के उत्तर देने में उमदा सहायता है और मुसलमान भाई की सहायता करने की कुरआन और हदीषों में बहुत प्रसंशा की गई है ।

दलील नं. २

हदीष :- इमाम अहमद, तिब्रानी तथा बयहकी **हज़रत ज़ाबिर** इब्ने अब्दुल्लाह रदीअल्लाहे अन्हो से रिवायत करते हैं कि :-

"जब हज़रत सअद इब्ने मआज़ रदीअल्लाहो अन्हो को दफ़न किया गया और क़ब्र बन्द कर दी गई, तव **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम बहुत समय तक "सुब्हानल्लाह । सुब्हानल्लाह ।" फरमाते रहे और सहावाओ किराम भी हुज़ूर के साथ साथ सुब्हानल्लाह - सुब्हानल्लाह कहते रहे । इस के बाद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम "अल्लाहो अकवर । अल्लाहो अकवर" फरमाते रहे । और सहावाओ किराम भी हुज़ूर के साथ साथ अल्लाहो अकवर - अल्लाहो अकवर कहते रहे । इस के वाद सहावाओ किराम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की **"या रसूलल्लाह"** आप ने आरंभ में **"तस्वीह"** (सुब्हानल्लाह) और अंत में **"तकबीर"** (अल्लाहो - अकवर) फरमाया, इस का कारण क्या हय ? इरशाद फरमाया कि "यह नेक मर्द (हज़रत सअद) पर उनकी कब्र तंग हो गई थी, यहां तक के अल्लाह तआला ने उनसे यह तकलीफ दूर फरमा दी और क़ब्र को विशाल (चौडी) फरमा दी।

✪ अल्लामा तिब्री **"शरहे मिश्कात शरीफ"** में फरमाते हैं **कि हदीष का भावार्थ यह है कि मैं और तुम सब एक साथ मिल कर सतत "अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर"** तथा "सुब्हानल्लाह ।

सुब्हानल्लाह" कहते रहे, यहां तक के अल्लाह तआला ने इन को तंगी से नज़ात अपर्ण की ।

वर्णनीय हदीष से पुरवार हुआ के **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने स्वयं "मैयत" पर आसानी हो इस आशय से दफ़न के बाद क़ब्र पर "अल्लाहो - अकबर । अल्लाहो - अकबर ।" सतत फरमाते रहे । यही शब्द "अल्लाहो - अकबर" अज़ान में छे (६) मरतबा है। पुरवार हुआ कि यह कार्य (क़ब्र पर अज़ान) सुन्नत के' अनूरुप है । विशेष में अज़ान में इन शब्दों से कोई हानी नहीं और यह कार्य सुन्नत के विरुद्ध भी नहीं, बल्कि विशेष फायदा कारक है, क्यूं कि अल्लाह की रहमत के आगमन के लिए **"ज़िक्रे - खुदा"** करना था ।

यह तरीका अमीरुल मोअमेनीन हज़रत उमर फारुके आज़म, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसअूद, हज़रत इमाम हसने मुजतबा तथा अन्य सहाबा रदीअल्लाहो अन्हुम अजमइन के तरीके के मुताबिक़ है ।

✪ फिकह की आधारभूत किताब, **"हिदायां"** में है कि :-

"वर्णनीय शब्दो में कुछ भी कम न करना चाहिये, क्यूंकि हुजूर सल्लल्लाहो अलैह, वसल्लम से इसी तरह वर्णन किया गया है, इस लिए उस में कोई शब्द कम न करना चाहिये, अलबत,, अगर उसमें विशेष शब्द मिलाने में आऐं तो योग्य (जाइज़) है, क्यूंकि उस में खुदा की तारीफ और बंदगी का वर्णन है । और खुदा की तारीफ और बंदगी व्यक्त करने के लिए अन्य शब्दों का समावेश करना मना (निषेध) नहीं परंतू प्रसंशनीय है ।

मैं ने अपनी किताब **"सिफाऊल - लज़ैन - फी - कवनित - तसाफोहे - बे - क़फफिल - यदैन"** में इन सब बाबतों का विस्तृत वर्णन किया है ।

दलील नं. ३

सुन्नत, हदीष ओर फिकह से पुरवार हय कि नझअ (मृत्यू के समय) की हालत में मृतक के पास "ला - इलाहा - इल्लल्लाह" कहते रहेना चाहिये, क्यूंकी यह सुनकर उसको कल्मा याद आ जाओ ।

हदीष :- हदीषे मुतवातिर में अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिझी, नसाई तथा इब्ने माज़ा ने हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू हुरैरा तथा उम्मुल मोअ्मेनीन हज़रत आअेशा (रदीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते

हैं कि **हूज़ूरे अकदस** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि :-

"तुम्हारे मुर्दों (मृतकों) को "ला - इलाहा - इल्लल्लाह सिखाओ"

✪ जो शख़स (व्यक्ति) सकरात (मृत्यू का समय) की हालत में है, वह मुर्दे की तरह है । उसको कल्मा सिख़ाने की आवश्यकत्ता इस लिए हय कि ख़ुदा के फज़लो - करम से उसका ख़ातमा (जीवन का अंत) कल्मे पर हो और वह शैतान के जाल में फंस कर भूलने और बहकने से सुरक्षित रहे।

तथा

✪ जो शख़स दफ़न हो चुका है वह वास्तव में मुर्दा है । उसको कल्मा सिखाने की आवश्यकता इस लिए है कि ख़ुदा के फज़लो - करम से उसे मुनकर - नकीर के सवालों का ज़वाब याद आ जाओ और वह शैतान के वहेकाने से सुरक्षित रहे ।

निःशंक ! अज़ान में कल्मा "ला इलाहा - इल्लल्लाह" तिन मरतबा है, बल्कि समग्र अज़ान के शब्द मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब बताती है ।

मुनकर - नकीर के तीन सवाल होते हैं ।

१) **मर्रब्बुका** - तेरा रब कौन है ?

२) **मा - दीनोका** - तेरा दीन कौन सा है ?

३) **मा - कुन्ता - तकूलो - फी - हाज़र्रजुले** - तूं इस मर्द अर्थात नबी सल्लल्लाहो अलैह के लिए क्या अकीदा रख़ता था ।

✪ अब ! अज़ान के आरंभ में :-

"अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर
अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर"

तथा......

"अश्हदो - अल - ला - इलाहा इल्लल्लाह
अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह"

और अज़ान के अंत में :-

"अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर"
ला - इलाहा - इल्लल्लाह"

यह शब्द आते हैं । ये तमाम शब्द मुनकर नकीर के प्रथम प्रश्न **"मर्रब्बुका"** (तेरा रब कौन है) का जवाब सिख़ायेंगे । यह शब्द सुनकर याद आयेगा के **मेरा रब अल्लाह है ।**

✪ अज़ान में यह शब्द भी हंय कि :-

"हय्या अलस्सलाह - हय्या अलस्सलाह
हय्या अल्लफलाह - हय्या अल्लफलाह"

ये शब्द मुनकर - नकीर के दूसरे सवाल **"मा - दीनोका** (तेरा दीन (धर्म) क्या है) का जवाब सिख़ायेंगे । यह शब्द सुनकर याद आयेगा कि मेरा दीन वो था, जिस में नमाज़ दीन का रुकन और पाया था। **"अस्सलातो - इमादुद - दीन"** (अर्थात : नमाझ दीन का स्थंभ है - हदीष -)

✪ अज़ान के मध्य में है कि :-

**"अश्हदो - अन्ना - मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह
अश्हदो - अन्ना - मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह"**

ये शब्द मुनकर - नकीर के तीसरे सवाल **"मा - कुन्ता - तकूलो - फी - हाज़र्र - रजूले"** का जवाब सिखाअेंगे, यह शब्द सुन कर याद आयेगा के मैं **इन को अल्लाह का रसूल समझता था ।**

तो पुरवार हुआ कि दफ़न के बाद अज़ान देना, इरशादे नब्वी का पालन है । जिस का वर्णन हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने हदीषे - मुतवातिर में किया है ।

यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मुर्दे को सिखाने के लिए अगर अज़ान कहने में आती है, तो मुर्दा किस तरह (क्यूँ) सुन सके ? इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर मेरी किताब **"हयातुल - मवाल - फी - बयाने - सिमाइल - अमवात"** में मौजूद हय । इस किताब में मैं ने **पच्चहंत्तर (७५) हदीष तथा तीन सो पच्चहत्तर (३७५) बुर्झूगाने - दीन के कथनो** द्वारा पुरवार किया है कि मुर्दे का सुनना, देखना, समझना यह सब सत्य और हक है ।

दलील नं. ४

हदीष :- अबू - यअला, हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरै अकदस सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम फरमाते हंय कि :-

"ऊत्फेऊल - हरीका - बित्तकबीरे" अथॉस :- आग को तकवीर से वुझाओ"

हदीष :- इब्ने अदी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तथा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास तथा इब्नु रसुन्नी इब्ने असाकिर हज़रत अब्दुलल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस (रदीअल्लाहो अन्हुम) से रिवायत करते हैं कि **हुज़ूर पुर नूर** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फरमाते हैं कि :-

"जब आग देरवो तब 'अल्लाहो - अकबर' अतिशय कहते रहो, के वो आग को बुझा डालता हय"

अल्लामा मनावी, **"तफ़सीर जामए सगीर"** में फरमाते हैं कि तकवीर कहे यानी खुब 'अल्लाहो अकबर - अल्लाहो अकबर' कहो, क्यूंकि ऐसा करने से आग बुझ जायेगी ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी, इस हदीष की शरह (अनुसंधान) में फरमाते हैं कि **हुजूरे अकदम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम क़ब्र पर बहुत समय तक अल्लाहो - अकबर कहेते रहे वह हदीष ओर यह हदीष कि जिस में आग देख़ कर तकवीर कहेने का वर्णन है, यह दोनों हदीषों का आदेश व आशय **'गज़बे इलाही'** यअने खुदाई क्रोध को शांत करने के लिए है । इसी कारण अग्नि देख़ कर तकवीर (अल्लाहो - अकबर) कहेना मुस्तहव है ।

आधारभूत किताव **'वसीलतुन्नजात'** में **"हरतुल फिकह"** से हवाला से उल्लेख़ है कि :- कब्रस्तान वालों पर तकवीर कहने में हिकमत है कि **रसूले अकरम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का इरशाद है कि **"इज़ा - रअयतुमुल - हरीका - फ - कब्बेरु"** अर्थात आग लगे और तुम अपने हाथों से उसे बुझा न सको तो तकवीर कहो, क्यूंकि तकवीर की वरकत से आग बुझ जायेगी । तो क़ब्र का अज़ाव

भी आग से होता है और उसे हम हमारे हाथों से बुझा नही सकते. इस लिए तकवीर कहनी चाहिये, कि तकवीर के कारण दोज़ख़ (नर्क) की आग से छुट कारा प्राप्त हो ।

यहाँ पर पुरवार हुआ कि मुसलमान की कब्र पर तकवीर (अल्लाहो अकवर - अल्लाहो अकवर) कहेना एक प्रकार की सुन्नत ही हैं । तो कब्र पर अज़ान देना भी सुन्नत के अनूरुप ही है । अज़ान में अल्लाहो अकवर के इलावा जो विशेष शव्द हैं वह मना नही वल्कि फायदाकारक हैं जिस का वर्णन दलील नं. २ में हो चुका हैं ।

दलील नं. ५

हदीष :- इब्ने माजा तथा वयहकी ने सईद इब्ने मुसय्यद से रिवायत किया कि :-

"मैं हजरत अव्दुल्लाह इब्ने ऊमर के संग एक जनाज़ा में गया । जव मैयत को कवर में रख़ा गया तव हज़रत अव्दुल्लाह इब्ने ऊमर ने कहा कि **"बिस्मिल्लाहे - व - फी - सबिलिल्लाहे"** और जव कब्र वन्द करने लगे तो दुआ की कि "इलाही ! इसे (मृतक को) शैतान से वचा और कब्र के अज़ाव से सुरक्षित रख । इस के वाद **हज़रत अव्दुल्लाह इब्ने ऊमर** ने फरमाया कि यह मैं ने **रसूलुल्लाह** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से सुना है ।

✪ इमाम तिर्मिज़ी, अम्र इब्ने मुर्रा तावई से रिवायत करते हुंय कि जव मयैत को कब्र में रख़ा जाता तव सहाबा - अे - किराम तथा तावइन यह दुआ करने को मुस्तहव समझते थे कि **"इलाही ! इसे शैतान से पनाह दे"**

✪ इब्ने अली शयबा के जो इमाम वुख़ारी तथा इमाम मुस्लिम के ऊस्ताद हंय, वह अपनी **"मुसन्नफ"** में हज़रत ख़यसमा से रिवायत करते हैं कि सहावा - अे - किराम ज़व किसी मैयत को दफ़न करते तव ये दुआ करने को मुस्तहुव समझते थें कि "अल्लाह कें नाम से अल्लाह की राह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की मिल्लत पर, इलाही ! **इसे (मैयत को) अज़ावे क़ब्र, दोज़रव तथा मलऊन शैतान से पनाह दें"**

वर्णनीय हदीषों से पुरवार हुआ कि वह समय यानी दफ़नके तूरंत वाद का समय शैतान की दख़लगिरी का समय है और शैतान को दफ़े

(दूर) करना सुन्नत है । दलील क्रमांक नं. २ से पुरवार हो चुका है कि शैतान को दूर करने के लिए अज़ान देना उत्तम तरीका है । तो सिध्द हुआ कि क़ब्र पर अज़ान देना शरीअत के मुताबिक है ।

दलील नं. ६

हदीष :- अबू दाऊद, हाकिम तथा बयहकी ने अमीरुल मोअमेनीन **हज़रत ऊस्मान गनी** रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

"जब मुर्दे को दफ़न कर देते थे ये तब कब्र के पास खडे रहेते और सहाबा - ओ - किराम से फ़रमाते कि तुम्हारे भाई के लिए दुआ करो कि नकीरैन के जवाब देने में षाबित कदम (अडग) रहे, क्युंकि अब उस से सवाल होगा ।"

हदीष :- सईद इब्ने मन्सूर ने अपनी 'सूनन' में **हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद** रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

"जब मुर्दे को दफ़न करने के बाद कब्र बराबर बद कर देने में आती तब **हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम** कब्र के पास ख़डे हो कर दुआ मांगते के इलाही । हमारा ये साथी तेरा मेहमान हुआ है और दुनिया को अपनी पीठ के पीछे, छोड कर आया है । इलाही ! सवाल (नकीरनै के सवाल) के समय इस की ज़बान को दुरुस्त (ठीक) रख़ और कब्र में उस पर ऐसी बलाओं (आज़माइश) मत डाल कि जिसे सहन करने की उस में शकित न हो ।"

वर्णनीय हदीषों तथा दलील क्रमांक - ५ द्वारा पुरवार हुआ कि दफ़न के बाद दुआ करना सुन्नत है ।

✪ इमाम मुहम्मद इब्ने अली हकीम तिर्मिज़ी दफ़न के बाद दुआ करने की हिकमत (फ़ायदा) के अनुसंधान में फरमाते हंय कि :- "जनाज़ा की नमाज़ का जमाअत के साथ मुस्लीमों का पढ़ना, उसके लिए यह दृष्टांत है कि अेक लश्कर (सेना) बादशाह के द्वार पर भलामण ओर क्षमा भी विनंती के लिए हाज़िर हुआ है । और कब्र के पास ख़डे होकर मैयत के लिए हुआ करना ऐसा है कि अब वह सेना मैयत की सहायता कर रही है। क्युंकि वह समय कहीन है । कब्र के अन्जाने वातावरण में स्थायी होना और

नकीरैन के सवालों के जवाब देने का अवसर है ।

(हवाला :- **"शरहुस्सुदूर"**, लेखक :- इमाम जलालुद्दीन सुयूती)

अब मैं नहीं सोच सकता कि विश्व में कोई ऐसी भी व्यक्ति हो, जो दुआ का मुस्तहब होना स्वीकार न करें ।

✪ इमाम आजेरी फ़रमाते हंय कि दफ़न के बाद थोडी देर के लिए ख़ड़ा रहना और मैयत के लिए दुआ करना मुस्तहब है ।

इसी प्रकार का वर्णन इस्लामी साहित्य की मशहूर तथा विश्वसनीय किताबें जोहरा, नय्येरा, दुर्रे मुख़तार तथा फ़तावा आलमगिरी में उपलब्ध है ।

✪ आश्चर्य तो इस बात पर है कि कब्र पर अज़ान देने की मनाई करने वाले वर्ग के इमामे षानी (दूसरे इमाम) यानी मोल्वी इस्हाक दहेल्वी ने अपनी किताब **"मिअता - मसाइल"** में दफ़न के बाद कब्र के पास ख़डे रहे कर दुआ मांगने के संदर्भ में फतहुल कदीर, बेहरुरॉइक, नेहरुल - फाइक और फ़तावा आलमगिरी जैसी किताबों से सिध्द किया है कि **"कब्र के पास ख़डे रहकर दुआ मांगना सुन्नत से साबित है ।"**

परंतु..........

वह मोल्वी साहब इत्ना न समझ सके कि अज़ान भी दुआ है, बल्कि उत्तम दुआ है । क्यूंकि अज़ान ज़िक्र इलाही है और हर ज़िक्र दुआ है। तो अज़ान भी पुरवारित सुन्नत का अेक भाग पुरवार हूई ।

मुल्ला अली कारी अलैहे रहमतुल बारी **"मिरकात शरहे, मिरकात"** में फरमाते हंय कि :- **"कुल्लो - दुआ - ज़िकरुन - व - कुल्लो - जिकरिन - दुआ"** अर्थात हर दुआ ज़िक्र है और हर ज़िक्र दुआ है ।

हदीष :- हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि :- **"अफ़ज़लुद - दुआअे - अल - हम्हो - लिल्लाह"** अर्थात सब दुआओं में अफ़ज़ल (उत्तम) दुआ अलहम्हो लिल्लाह है । (तिर्मिज़ी)

हदीष :- सहीहेंन में है कि अेक प्रवास में लोगों ने बड़ें बड़ें आवाज़ से 'अल्लाहो - अकबर, अल्लाहो - अकबर' कहेना शुरु किया । **नबी-ओ-करीम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों ! अपनी जानों

पर नरमी करो । तुम किसी बहेरे या गैर हाज़िर से दुआ नहीं करते परंतु सुनने वाले और देख़ने वाले (रब) से दुआ करते हो ।

देख़ो ! उपरोक्त दोनों हदीषों में **हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने "अल हम्दो लिल्लाह"** तथा "अल्लाहो अकबर" ये दोनों कल्मों (शब्दों) को **'दुआ'** कहा है । तो अब अज़ान के दुआ तथा सुन्नत होने में क्या शंका रही ?

दलील नं. ७

ये तो सिद्ध हो गया कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ मांगना सुन्नत है । ओलोमा फरमाते हंय कि दुआ मांगने के तरीके में यह भी है कि दुआ से पहले कोई नेक अमल कर लेना चाहिये ।

✪ इमाम शम्सुदीन मुहम्मद इब्ने बज़रीन की किताब **"हिस्ने - हसीन"** में है कि दुआ मांगने से पहले कोई नेक अमल करना यह दुआ के आदाब में से हैं । अल्लामा अली कारी अपनी किताब **"हिरज़े समीन"** में फरमाते हैं कि इस हदीष को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा तथा इब्ने हब्बान ने हज़रत अबुबकर सिद्दीक रहीअल्लाहो अन्हो से रिवायत करना साबित है ।

इस बात में शंका नहीं कि अज़ान **'नेक - अमल'** है, दफ़न के बाद दुआ मांगी जाती है और दुआ के मांगने से पहले 'नेक अमल' (अज़ान) करना सुन्नत के मुताबिक है ।

दलील नं. ८

हदीष :- अबू दाऊद, इब्ने हब्बान तथा हाकिम ने हज़रत इब्ने सअदस्साअेदी रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि :-

"रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहे, वसल्लम ने फ़रमाया हय कि **"षिनताने - ला - तूरददाने - अद - दुआओ - इन्दल - निदाओ - य - इन्दल - बा'से"** अर्थात दो दुआओं रद नहीं होतीं, एक अज़ान के समय और दूसरी जेहाद में, के जब काफ़िरों से जंग (युद्ध) हो रही हो ।

हदीष :- अबू यअला, हाकिम, अबू दाऊद तथा अन्यो ने हज़रत अनस इब्ने मालिक रदीअल्लाहो अन्हुम से रिवायत किया कि :-

"**हुज़ूरे अक़दस** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं "**इज़ा - नादल - मुनादी - फ़ोतेहत - अब्वाबस - समाओ - व - उस्तोजीबद - दुआ**" अर्थात - जब अज़ान देनेवाला अज़ान देता है, तब आसमान के दरवाज़े ख़ोल दिये जाते हंय और दुआ क़बूल होती है ।"

उपरोक्त दोनों हदीषों से पुरवार दुआ कि अज़ान देने से दुआ क़बूल होती है दफ़न के बाद अल्लाह से दुआ मांगनी होती है, तो दुआ क़बूल हो ऐसा काम करना (यानी के अज़ान देना) बहूत ही अच्छा काम है।

दलील नं. ९

हषीद :- इमाम अहमद तिब्रानी, अबू दाऊद, नसाई इब्ने माजा, खुजैमा, इब्ने हब्बान विगेर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अबू हुरैरा, बरा इब्ने आज़िब, अबी ऊमामा तथा अनस इब्ने मालिक कुल पांच (५) सनदों से रिवायत किया कि :-

"**रसूले अकरम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि "जहां तक अज़ान की आवाज़ जाती है ऊतने अंतर (चोडाई) जितनी मगफ़ेरत मोअज़्ज़ीन के लिए आती है और जो भी सूख़ी (खुश्क) और लीली (तर) वस्तु तक अज़ान की आवाज पहोंचती है, वो तमाम वस्तुएं उस अज़ान देनेवाले के लिए मगफ़ेरत मांगती हंय ।"

वर्णनीय हदीष से साबित हुआ कि जिस व्यक्ति की अज़ान देने के कारण मगफ़ेरत कर देने में आई हो, उस व्यक्ति की दुआ शीघ्र होती है । और हदीषों में वर्णन है कि मगफ़ुरो से दुआ करानी चाहिये

हदीष :- इमाम अहमद '**मुस्तनद**' में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि :-

"**हुज़ूरे अक़दस** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हंय कि "जब तूं हाजी से मिल तो उसे सलाम कर और उस से हाथ मिला और वो हाज़ी अपने घर में दाख़िल हो, इस के पहेले उस से अपने लिए मगफ़ेरत की दुआ करा, क्युंकि वो बख़्श दिया गया है ।"

इसी तरह दफ़न करने के बाद किसी नेक बंदे से अज़ान दिलानी चाहिये, ताकि हदीष के हुकम अनूसार (इन्शाअल्लाह) उस अज़ान कहेने वाले की मग़फ़ेरत होगी, इस के बाद वो अज़ान कहेने वाला मयैत के लिए दुआ करे, क्युंकि मग़फ़ूर (बख़्शा हुआ) की दुआ ज़्यादा क़बूल होती है । तो

इस तरह करने में कोन सा गुनाह है ?

दलील नं. १०

अज़ान ज़िक्रे इलाही है और हर ज़िक्रे इलाही अज़ाब को रोकता है ।

हदीष :- इमाम अहमद ने मआज़ इब्ने जबल से तथा इब्ने अबीददुनिया तथा बयहक़ी ने इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत करते हंय कि :-

"हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि **"अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ कर कोई भी चीज़ अज़ाब इलाही से बचाने वाली नहीं ।"**

हदीष :- क़बीर में हज़रत मा'कल इब्ने यसार रदीअल्लाहो तआला अन्हो की हदीष में बयान किया गया है कि :-

"हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रतमाते हंय कि **"जिस जग़ह (स्थान) पर अज़ान कही जाती है, उस जग़ह को अल्लाह तआला उस दिन के लिए अज़ाब से सुरक्षित रखता है ।"**

तो पुरवार हुआ कि अपने मो'मीन भाई के लिए ऐसा अमल (कार्य) करना के जो अमल उस मो'मीन भाई को अज़ाब से बचाता हो, तो वो अमल निःशंक अल्लाह और रसूल को अति प्रिय है ।

✪ मुल्ला अली क़ारी अलैहे रहमतुल बारी, अपनी मशहूर किताब **"शरहे - अयनुल - इल्म"** में कब्र के पास कुरआन पढ़ने, तस्बीह पढ़ने तथा दुआओे रहेमत व मगफ़ेरत करने की वसीय्यत कर के फ़रमाते हंय कि **"फ़ - इन्नल - अज़कारा - कुल्लोहा - नाफ़ेअतुन फ़ी - तिलकद - दार" यानी जितने** ज़िक्र हंय वो मैयत को क़ब्र में फ़ायदा पहोंचाते हंय ।

इमाम बदरुद्दीन महमूद अपनी किताब "अयनी शरहे सहीह बुख़ारी में क़ब्र के पास हदीष बयान करने के प्रकरण में फ़रमाते हंय कि मैयत के लिए लाभ कर्ता है कि मुसलमान उस की क़ब्र के पास जमा हों और कुरआन शरीफ़ की तिलायत तथा ज़िक्र करें, उस से मैयत को फ़ायदा (सवाब) होता है ।

तो क़ब्र पर अज़ान देने की मनाइ करने वाले इस पर सोचे कि

क़ब्र पर अज़ान देना क्या ज़िक्र नही ?

या.....फिर.....मैयत को सवाब मिले ये उन्हें अच्छा नहीं लगता ।

दलील नं. ११

"अज़ान" ज़िक्रे मुस्तफा है और **मुस्तफ़ा** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र करने से रहमत नाज़िल होती है । क्यूंकि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र वास्तव में **'ज़िक्रे - ख़ुदा'** है ।

✪ इमाम इब्ने अत्ता तथा इमाम क़ाजी अयाज़ विगेरे महान इमामों ने क़ुरआन शरीफ़ की आयत **"व - रफ़अना - लका ज़िकरक"** की तफ़सीर में फरमाते हंय कि :-

"ए महेबूब ! (सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम) मैं ने आपको अपनी यादों में से अेक याद बनाया है और जो आप का ज़िक्र करता है, वो हक़ीक़त में मेरा ही ज़िक्र करता है ।

विशेष में.....निःशंक, ज़िक्रे इलाही की वजह से रहमत नाज़िल होती है, क्यूंकि ज़िक्र करनेवालों के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हैं कि :-

हदीष :- "फरिश्ते उस ज़िक्र करनेवाले को घेर लेते हैं और खुदा की रहेमत उन को ढांक (छूपा) लेती है, और उन पर चैन और शांति उतारने में आती है । (मुस्लिम, तिर्मिज़ी)

विशेष में..........

खुदा के प्रत्येक नेक बंदे के ज़िक्र के पास ख़ुदा की रहेमत नाज़िल होती है ।

✪ इमाम सुफ़यान इब्ने ऊययना रहमतुल्लाहे तआला अलैहे फ़रमाते हंय कि **"इन्दा - ज़िकरिस्सालेहीना - तनज़्ज़लूल रहमतो"** अर्थात "नेक लोगों का ज़िक्र करने से ख़ुदा की रहमत नाज़िल होती है ।"

उपरोक्त कथन को अबू जा'फ़र इब्ने हमदान ने हज़रत अबू अम्र इब्ने नजीद से वर्णन कर के फ़रमाया कि **"फ़ - रसूलुल्लाहे - सल्लल्लाहो - अलैहे - वसल्लमा - रासुस - सालेहीना"**

अर्थात - रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तमाम सालेहीन (नेक लोगों) के सरदार हैं ।"

लेहाजा........जहां कहीं भी अज़ान कही जायेगी वहां **'रहमते - इलाही'** का आगमन होगा और मुसलमान भाई के लिए अैसा काम करना कि जिस के कारण रहमत नाज़िल हो, अैसा काम (क़ब्र पर अज़ान) करने की शरीअत में मनाई करने में नहीं आई परंतू अैसा काम पसंद किया गया है ।

दलील नं. १२

ये सर्व मान्य हक़ीक़त भी है और हदीषों में भी आया हैकि मुर्दे को उस तंग तथा अंधकारमय मकान (क़ब्र) में सख्त गभराहट होती है तथा डर भी लगता है । अज़ान देने से गभराहट और डर दूर होता है और शांति प्राप्त होती हैं, क्युंकि अज़ान 'ज़िक्रे ख़ुदा है । अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि :-

"अला - बे - ज़िकरिल्लाहे - तत्मइन्नुल - कुलूब"

अर्थात

" सुनलो, अल्लाह का ज़िक्र करने से दिलों को शांति मिलती है ।"

✪ अबू नइम तथा इब्ने असाकिर ने हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि **सरवरे आलम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-

"जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से हिन्दुस्तान की धरती पर आगमन हुआ और उन्हें सख्त ग़भराहट हुई, तो हज़रत ज़िब्रइल अलैहिस्सलाम ने आकर अज़ान दी ।"

तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ग़भराहट दूर करने के लिए खुद हज़रत जिब्रइल ने अज़ान दी, तो अगर हम क़ब्र में बेचैनी का अनुभव करने वाले हमारे मुर्दे की बेचैनी और ग़भराहट को दूर करने के नेक इरादे से अज़ान देते हंय, इस में कौन सी बुराई है ?

बल्कि.............

अैसे निःसहाय मुर्दों की सहायता करने को अल्लाह तआला बहूत पसंद फ़रमाता है ।

हदीष :- इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा तथा हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा (रदीअल्लाहो तआला अन्हुम) से रिवायत करते हंय कि **हुज़ूरे अकदस** सल्लल्लाहो अलह वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-

"अल्लाह तआला बन्दे की मदद में है, जब तक बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में है ।"

हदीष :- शयख़ैन तथा अबू दाऊद ने हज़रत इब्ने उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत किया कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि :-

"जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की हाजत पुरी करने में रहता है, तो अल्लाह तआला उसकी हाजत पूरी करता है और जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ दूर करता है तो उस के बदले में अल्लाह तआला कयामत के दिन की मुसीबतों में से अेक मुसीबत दूर फ़रमाअेगा ।"

दलील नं. १३

★ मुस्नदूल फ़िरदौस में हज़रत अमीरुल मोअमेनीन सय्येदेना अली मुर्तेज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हंय कि :-

"अेक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने मुझे गमग़ीन देखा । आप ने मुझ से इरशाद फ़रमाया कि ए अली । मैं आपको गमग़ीन देख रहा हूं । आप अपने घर वालों में से किसी को कहो कि वों तुम्हारे कान में अज़ान कहे, क्युंकि अज़ान गमग़ीनी को दूर करती है ।"

★ **"मिश्कात"** में अल्लामा इब्ने हजर से वर्णन करते हंय कि हज़रत अली तथा हज़रत अली तक के जितने भी इस हदीष के रावी (वर्णनकर्ता) हंय, वो सब फ़रमाते हंय कि **"फ़ - जरबत्तोहू - फ - वजदत्तोहु - क - जालेका"** अर्थात मैं ने इस को आज़मा कर देख़ा तो उसी मुताबिक अनुभव किया यानी कि गमग़ीनी के समय अज़ान देने से गमग़ीनी दूर हो गई ।"

हदीषों से पुरवार है कि उस वक्त यानी की दफ़न के तूरंत बाद

मैयत गमग़ीनी और परेशानी की हालत में होता हैं, तो मैयत की गमग़ीनी और परेशानी दूर करने के लिए अग़र अज़ान देने में आओ तो क्या शरीअत में इस की मनाइ हैं ? नहीं बल्कि फ़र्ज़ अमलों के बाद मुसलमान भाई का दिल ख़ुश करने जैसा कोई अमल ख़ुदा के नज़दीक प्रिय नहीं ।

हदीष :- तिब्रानी ने मोअज़्ज़म कबीर तथा मोअज़्ज़म अवसत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि :-

"फ़र्ज़ों के बाद के अमलों में मुसलमान का दिल ख़ुश करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा प्रिय है ।"

हदीष :- इमाम इब्नुल इमाम, सयैदना हसने मुजतबा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि **सरकारे दो जहाँ** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इर्शाद फ़रमाते हंय कि :-

"तुम्हारे मुसलमान भाई का दिल ख़ुश करने से मगफेरत की प्राप्ति होती है ।"

दलील नं. १४

अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन शरीफ़ में फरमाता है :-

"या - अय्युहल - लज़ीना - आमनूज़ - कुरुल्लाहा - ज़िकरन - कषीरा"

अर्थात

"ए इमानवालो । अल्लाह का ज़िक्र खुब करो ।"

हदीष :- अहमद, अबू यअला, इब्ने हब्बान, हाकिम तथा बयहकी ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रहीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया कि :

"अकषरु - ज़िक्रल्लाहे - हत्ता - यकूलू - मज़नु - नल्लाहे" यानी अल्लाह का जिक्र इत्ना ज्यादा करो के लोग़ तुम्हे अल्लाह का मजनू कहें ।"

हदीष :- कबीर में तिब्रानी ने हज़रत मआज़ इब्ने जबल रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि **नबीये करीम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि **"ऊज़कुरुल्लाह - इन्दा - कुल्ले - हज़रिंप -**

व - शज़रिन" यानी हर पथ्थर और वृक्ष के पास अल्लाह का ज़िक्र करो ।

✪ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हंय कि अल्लाह तआला ने भी फ़राइज़ मुकर्रर किये हैं, उन तमाम की हद है और मजबूरी की हालत में बन्दों को माफी भी दी है, लेकिन ज़िक्र के लिए अल्लाह ने कोइ हद नही मुकर्रर की के वो पुरा हो और किसी को भी उसका त्याग करने की परवानगी नहीं दी. अलबत्त, उन लोगों को ही फ़क्त माफ़ी दी गई है कि जिन की अकलें (बुद्धि) सलामत न हों । अल्लाह तआला ने बन्दे को आदेश दिया है कि हर हाल में उसका ज़िक्र करे ।

✪ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शगिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद फ़रमाते हंय कि **"अज़ - ज़िकरुल - कसीरो - अन - ला - युतनाही - अबदन"** यानी "ज़िक्रे कसीर वो है जो कभी ख़तम न हो"

उपरोक्त वर्णन द्वारा पुरवार हुआ कि हर जगह अल्लाह का ज़िक्र करना ऊमदा और प्रिय बात है । और जब तक शरीअत में उसके करने की मनाई न आइ हो, वहां तक उसके करने से दरगिज़ मना नहीं कर सकते । अज़ान भी **"ज़िक्रे - ख़ुदा"** है और ज़िक्रे ख़ुदा से मना करने का कारण क्या है ? बल्कि यहां तक हुकम है कि हर पथ्थर ओर पेड़ (वृक्ष) के पास ख़ुदा का ज़िक्र करो तो क्या मुसलमान मो'मीन की क़ब्र के पथ्थर इस हुकम से बाद कर दिये गए हंय ?

दफ़न के बाद ख़ुदा का ज़िक्र करना हदीषों से साबित है, और अइम्मअे-दीन के कथन अनुसार मुस्तहब है । इमामे अजल, अबू सुलयमान ख़त्ताबी क़ब्र के पास खड़े हो कर, "तलकीन" करने के अनूसंधान में फ़रमाते हयं कि" हमें इस के बारें में कोई मश्हूर हदीष प्राप्त नहीं परंतू अैसा करने में कोइ हरज (बाध) नहीं है, क्युंकि इस में ख़ुदा का ज़िक्र करना है, जो बहूत ही ऊमदा बात है ।

दलील नं १५

हज़रत इमामे - अजल, अबू ज़करिया नववी, शारेह सहीह मुस्लिम **किताबूल - अज़कार** में फ़रमाते हंय कि :-

"मुस्तहब है कि दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास

इतनी देर बैठना कि उस समय दरमियान एक ऊँट ज़ुबह (हलाल) कर के उसका गोश्त (मांस) वितरण (तक़सीम) कर दिया जाओ । और उस समय दरमियान क़ब्र के पास बढ़ने वाले तिलावते कुरआने पाक, मैयत के लिए दुआ, वअज़, नसीहत, नैक बंदों के ज़िक्र तथा हिदायत में व्यस्त रहें ।

✪ शयख़ मोहक़्क़िक़ मौलाना अब्दुल हक़ मोहद्दिषे दहेल्वी (कुद्देसा सिर्रहु) अपनी किताब **"लम्आत शरहे, मिश्कात"** में अमीरुल मोअ्मेनीन **हज़रत उस्मान गनी** रदीअल्लाहो अन्हो द्वारा रिवायत की गई हदीष (जो दलील नं. ६ में प्रस्तुत की गई है) के अनूसंघान में फ़रमाते हंय कि विश्वास के साथ मैं ने अनेक आलिमों से सुना है कि **"दफ़न करने के बाद क़ब्र के पास कोई फ़िकही - मस्अला बयान करना मुस्तहब है ।**

"अश्अतुल - लम्आत" शरहे मिश्कात (फ़ारसी) में शाह अब्दुल हक़ मोहद्दिषे दहेल्वी उसका कारण ये बताते हंय कि **"बाइसे - नुज़ूले - रहेमत - अस्त"** यानी "इस के कारण रहेमत नाज़िल होती है ।"

विशेष में............

✪ वो फ़रमाते हंय कि "फ़र्ज़ मस्अला बयान करना मुनासिब है"

✪ ओरे वो फ़रमाते हंय कि "अगर कुरआन शरीफ का ख़तम करने में आओ तो ज़्यादा उत्तम है"

वर्णनीय दलील से पुरवार हुआ कि ओलोमाओ किराम ने क़ब्र के पास नेक बंदों का ज़िक्र, सालेहीन का वर्णन, कुरआन शरीफ़ का खत्म, फ़िकह के मसाइल तथा फ़राइज़ के वर्णन कर ने को मुस्तहब पुरवार किया है । इस की वजह (कारण) सिर्फ़ इत्नी है कि मैयत को रहेमत की हाजत होती है और उपरोक्त कामों के करने से रहेमत नाज़िल होती है । हदाषों में है कि 'अज़ान' देने से रहेमत नाज़िल होती है । तो जब वर्णनीय काम मुस्तहष हंय, तो क़ब्र के पास अज़ान देना किस वजह से मुस्तहब नहीं ?

अल्हम्दोलिल्लाह । यहां तक कुल पंदरह (१५) दलीले पूरी हुईं

और क़ब्र पर अज़ान देने का सुबूत मिला।

महत्व की नसीहतें

नसीहत नं. १

उपर वर्णन की गई दलीलें पढ़ने के बाद वांचक वर्ग ख़ुदा की महान नेअमत के बारे में सोचें कि क़ब्र पर अज़ान देने से मैयत को और अज़ान देने वाले को कित्ने फ़ायदे होते हैं।

क़ब्र पर अज़ान देने से मैय़त को सात (७) फ़ायदे होते हैं।

१) अल्लाह की मदद से शैतान के फ़रैब से पनाह मिलेग़ी।

२) 'तकबीर' (अल्लाहो अकबर) कहने की बरकत से अज़ाब से अमन मिलेगा।

३) मुनकर - नकीर के सवालों के जवाब याद आ जायेंगे।

४) 'अज़ान' (ज़िक्र) के कारण क़ब्र के अज़ाब से नजात मिलेग़ी।

५) हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ज़िक्रे पाक की बरकत से रहेमत नाज़िल होग़ी।

६) अज़ान की बरकत से क़ब्र की ग़भराहट दूर होग़ी।

७) अज़ान की बरकत से ग़म (रंज) दूर होग़ा और खुशी तथा शांति मिलेगी।

क़ब्र पर अज़ान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे होते हंय।

अज़ान देनेवाले को कुल पंदरह, (१५) फ़ायदे इस तरह होते है, सात (७) फ़ायदे तो उपर वर्णन किये। जो मैयत को होते है और वही सात फ़ायदे अज़ान देनेवाले और ज़िक्र करने वाले जिन्दा लोगों को भी प्राप्त होते हंय। विशेष में अज़ान देनेवालों को आठ (८) विशेष फ़ायदे मिलते हंय, यानी अज़ान देनेवालों को कुल १५ (पंदरह) फ़ायदे होते हंय।

अज़ान देनेवालो को जो विशेष आठ (८) फ़ायदे होते हंय, वो निम्नलिख़ित हंय।

१) मैयत के फ़ायदे के लिए शैतान को दूर करने की तरकीब द्वारा सुन्नत की पाबंदी हूइ।

२) मैयत को जवाब देने में आसानी हो, ऐसी कोशिश कर के सुन्नत की

पैरवी की, जिसका सवाब मिलेगा ।

३) क़ब्र के पास दुआ की । जिस की वजह से भी सुन्नत पर अमल हूआ।

४) मैयत को फ़ायदा पहोंचाने की निय्यत से क़ब्र के पास 'तकबीरे' (अल्लाहो - अकबर) कहीं । इससे भी सुन्नत पर अमल हुवा ।

५) 'अज़ान' दे कर खुदा का ज़िक्र करने का सव ब मिला ।

६) मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ज़िक्र किया । जिस की बरकत से रहमतें मिलेंगी ।

७) दुवा करने के फ़जाइल हासिल हुओ और दुआ करना भी इबादत का महत्व का भाग है ।

८) अज़ान देने के फ़ायदे मिले । मिसाल के तौरे पर जहां तक अज़ान की आवाज़ पहोंचेगी वहां तक मगफ़ेरत तथा प्रत्येक खुश्क (सुकी) और तर (भीनी) चीज़ें उस के लिए मगफ़ेरत की दुआ करेंगी । विशेष में दिल को सुकून और चैन प्राप्त होगा ।

अज़ान में कित्ने वाक्य हैं ?

रसप्रद बात ये है कि अज़ान में कुल सात (७) वाक्य (जूमले) हंय । और वो हस्बे ज़ैल हंय ।

१) अल्लाहो अकबर .... १ वाक्य
२) अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह ...... १ वाक्य
३) अश्हदो - अन्ना - मुहम्मर्द - रसूलुल्लाह .... १ वाक्य
४) हय्या अलस्सलात .... १ वाक्य
५) हय्या अलल फ़लाह .... १ वाक्य
६) अल्लाहो अकबर .... १ वाक्य
७) ला इलाहा इल्लल्लाह .... १ वाक्य

कुल..........७ वाक्य

लेकिन................

उपरोक्त सात वाक्य अज़ान में इस्लामी कानून के मुताबिक इस तरह कहे जाते हंय कि उसका टोटल पंदरह (१५) होता है ।

जैसे कि :-

१) अल्लाहो अकबर ४ मरतबा

२) अश्हदो - अल - ला - इलाहा - इल्लल्लाह २ मरतबा

३) अश्हदो - अन्ना - मुहम्मर्द - रसूलुल्लाह २ मरतबा

४) हय्या अलस्सलात २ मरतबा

५) हय्या अलल फ़लाह २ मरतबा

६) अल्लाहो अकबर २ मरतबा

७) ला इलाहा इल्लल्लाह १ मरतबा

कुल........१५ मरतबा

तो साबित हुआ कि अज़ान देने से मुर्दे को सात (७) और अज़ान देने वाले को पंदरह (१५) फ़ायदे होते हंय, वो फ़ायदे हक़ीक़त में उपर बयान किये गए सात (७) और पंदरह (१५) की बरकत है। लेकिन, सोचने की बात ये है कि क़ब्र पर अज़ान देने की मना करनेवालों को मैयत और अज़ान देनेवाले को इन सवाब के फ़ायदों से और बरकतों से मेहरुम रख़ने में कौन सा फ़ायदा नज़र आता है ?

हदीष में तो **ताजदारे मदीना** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इरशाद फ़रमाते हंय कि "तुम में से जो कोइ भी अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाने की ताक़त रख़ता हो, उसके लिए ज़रुरी है कि वो अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाओ।"

उपरोक्त हदीष में मुसलमान भाई को फ़ायदा पहोंचाने की संपूर्ण इज़ाज़त प्राप्त होने के बावजूद भी क़ब्र पर अज़ान देने की मनाई करने वाले किस बिना पर मनाइ कर रहे हंय, वो तो ख़ुदा ही जाने।

नसीहत नं. २

हदीष :- हज़रत अनस तथा हज़रत सहल इब्ने सअद रदीअल्लाहो अन्हुमा से रिवायत करते हंय कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम फ़रमाते हंय कि :-

"निय्यतुल - मोअमिने - ख़यरुम - मिन - अमलेहि"

अर्थात

"मुसलमान की निय्यत उसके अमल से बहेतर है।"

(बयहक़ी तथा तिब्रानी)

जो शख़स **"निय्यत का इल्म"** जानता है, वो सिर्फ एक काम करके अनेक नैकी हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई

शख़्स नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ़ चला और उसने सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने की ही निय्यत की , तो उसका चलना बेशक़ बेहतर है । हर क़दम पर उसे अेक नेकी मिलेगी और अेक अेक गुनाह मा'फ होगा, लेकिन जो शख़्स 'इल्मे निय्यत' जानता है, वो इस एक नैकी को अनेक नैकीयों में पल्टा सकता है ।

यानी जो शख़्स नमाज़ के लिए जाअे, तो वो नमाज़ की निय्यत के साथ साथ नीचे लिखे गअे कामों की भी निय्यत कर ले :-

१) असल मकसद नमाज़ के लिए जा रहा हूं ।

२) खुदा के घर (मस्जिद) की ज़ियारत करूंगा ।

३) इस्लाम की निशानी ज़ाहेर करूंगा ।

४) अल्लाह की तरफ़ बुलानेवाले (मोअज़्ज़ीन) का अमली स्वीकार करूंगा ।

६) मस्जिद में से कुडा - कचरा दूर करूंगा ।

७) अेअतफ़ाक करने जाता हूं ।

८) फ़रमाने इलाही पर अमल करने जा रहा हूं ।

९) वहां जो आलिम मिलेगा उससे मसाइल पुछूगा और दीन की बात शिख़ूंगा ।

१०) जाहिलों को मसाइल बताऊँगा और दीन की तालीम दूंगा ।

११) जो शख़्स इल्म में मेरा समकक्ष (बरोबरी का) होगा उसके साथ इल्म की चर्चा करूंगा ।

१२) आलिमों की ज़ियारत करूंगा ।

१३) नैक मुसलमानों का दीदार करूंगा ।

१४) दोस्तों से मुलाक़ात करूंगा ।

१५) मुसलमानों से मिलाप करूंगा ।

१६) जो रिश्तेदार मिलेगा उसके साथ हस्ते चेहरे से मिलूंगा ।

१७) अहेले इस्लाम को सलाम करूंगा ।

१८) मुसलमानों से मुसाफ़ा (हस्तधून) करूंगा ।

१९) जो मुझ को सलाम करेंगा उसका जवाब दूंगा ।

२०) जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में मुसलमानों की बरकतें

हासिल करूंगा ।

२१) मस्जिद में दाख़िल होते समय तथा

२२) मस्जिद से निकलने के समय हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करूंगा कि :-

"बिस्मिल्लाहे - अल - हम्दोलिल्लाहे - वस्सलामो - अला रसूलिल्लाहे"

२३) मस्जिद में दखिल होते समय तथा

२४) मस्जिद से निकलने के समय हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम तथा अज़वाजे मुतह्हेरात पर दरूद भेजूंगा कि :-

"अल्लाहुम्मा - सल्ले - अला - सय्येदेना - मुहम्मदिंव - व - अला - आले - सय्येदेना - मुहम्मदिंव - व - अला - अज़वाजे - सय्येदेना - मुहम्मद"

२५) बिमार की मिज़ाज पुर्सी करूंगा ।

२६) अग़र कोइ ग़मी वाला मिलेगा तो ताज़ीयत करूंगा ।

२७) जिस मुसलमान को छींक आयेगी और वो 'अलहम्दोलिल्लाह' कहेगा तो उसके जवाब में 'यरहमोकल्लाह' कहूंगा ।

२८) अच्छी और नेक बातों का हुकम करुंगा ।

२९) बुरी बातों से रोकूंगा ।

३०) नमाज़ी लोग़ों को वुज़ू का पानी दूंगा ।

३१) जो ख़ूद मोअज़्ज़िन हो या मस्जिद में कोइ मोअज़्ज़िन मुकर्रर

३२) न हो तो 'अजान' और 'इकामत' की निय्यत कर ले तो अज़ान और इकामत देने का सवाब भी मिलेग़ा ।

३३) जो रास्ता भटका हुआ मिलेगा, उसे रास्ता बताऊंगा ।

३४) अन्धे की दस्तगिरी करूंगा ।

३५) अग़र जनाज़ा मिलेगा तो नमाजे जनाजा पढ़ूंगा ।

३६) और अगर वक्त होगा तो दफ़न करने तक जाऊंगा ।

३७) दो मुसलमान में आपस में झग़डा होगा, तो 'सुलेह' कराने

की कोशिश करूंगा ।

३८) मस्जिद में दाख़िल होते समय पहेले दायां पांच तथा

३९) मस्जिद से वाहिर निकलते समय पहले बायां पांव रख़ कर सुन्नत पर अमल करूंगा ।

४०) रास्ते में लिख़ा हुआ काग़ज मिलेगा, तो उसे उठाकर अदव के साथ रख़ दूंगा । (विगेरह विगेरह)

मुख़तसर ये कि जो शख़्स उपरोक्त चालीस (४०) नैक इरादों के साथ घर से निकला है, वो सिर्फ़ नमाज ही के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उपरोक्त चालीस (४०) नैक काम करने के लिए जा रहा है । तो उसका चलना इन चालीस नैक कामों की तरफ़ है और **उसे हर क़दम पर चालीस (४०) नेकीयां मिलेंगी ।**

नसीहत नं. ३

क़ब्र पर अज़ान देने की मुख़ालेफ़त करने वाले ज़ाहिल विरोधी यहाँ पर अेक अेतराज़ (टीका) ये भी करते हैं, कि अज़ान तो नमाज़ क़ा अैलान करने के लिए कही जाती हय । यहां पर कौन सी नमाज़ होने वाली है कि जिस के लिए अज़ान कही जा रही है ।

लेकीन..............

ये उनकी साफ़ जेहालत है जो उनको ही शोभा देती है । ये लोग़ इत्ना भी नहीं जानते कि अज़ान देने में क्या क्या फ़ायदे हंय और शरीअत ने नमाज़ के इलावा वहोत सी जगह अज़ान देने को मुस्तहव फ़रमाया है।

मिसाल के तोरे पर ग़मग़ीनी के वक़त कान में अज़ान देना या ग़भराहट दूर करने के लिए अज़ान देना जाइज कहा गया है । जिस की विस्तृत माहिती देख़ना हो तो मेरी लिख़ी हूइ किताव **"नसीमुस्सबा - फी - अज़ान - अज़ाना - यहवेलुल - वबा"** (हि.स. १३०२) का वांचन करें ।

ये किताव मुहोर्रम शरीफ़ के अंत में सन हिज़री १३०७ में पूर्ण हुई।

वल - हम्दो - लिल्लाहे - रब्बिल - आलमीन वस्सलातो - वस्सलामो - अला - सय्येदिल - मुरसेलीना

- मुहम्मदिंव - व - आलेहि - व - अस्हाबेहि - अजमइन -
"आमीन"

महोरम शरीफ

सन हिज़री १३०७

अबदहुल मुज़निब

अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा बरेल्वी

(ओफिया अन्हो वे मुहम्मदनिल मुस्तफा नवीय्यील उम्मीये सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम)

☆ - *असल किताब यहा पर पूरी हो गई* - ☆

अनूवादक द्वारा

"इंट का जवाब पथ्थर से"

★ क़ब्र पर दफ़न के वाद अज़ान देने की वहावी - देवबंदी - तवलीगी वर्ग द्वारा सख़्ती से मना करने में आती हैं । जव उनसे मना करने का कारण पूछने में आता है तो कहते हैं कि अज़ान के वाद नमाज होनी चाहिये ओरे अव तो मुर्दा दफ़न हो चुका है । अव कौन सी नमाज़ वाकी है ?

इन लोगो के इस कथन का जवाव ये हैं कि इस किताव में आ'ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा मोहदिषे वरेल्वी (रहमतुल्लाहे अलैहे) ने सहीह हदीषों तथा आधारभूत किताबों के हवालों द्वारा पुरवार कर दिया हैं कि नमाज़ के इलावा वहुत सी जगह और परिस्थिती में सिर्फ अज़ान कही जाती है, और उस अज़ान के वाद नमाज़ नही है ।

मिसाल के तोरे पर ....

★ **दलील नं. १** :- में शयतान का ख़टका (दखल) दूर करने के लिए अज़ान देने का हदीष में आदेश है । उस अज़ान के वाद नमाज़ नहीं ।

★ **दलील नं. १२** :- में वर्णन है कि डर और ग़भराहट अज़ान देने से दूर होते हंय । हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ग़भराहट दूर करने के लिए हज़रत जिव्रइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान कही थी । इन अज़ानों के वाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ अज़ान ही अज़ान है ।

★ **दलील नं. १३.** :- में हज़रत अली रदीअल्लाहो अन्हो

की गमग़ीनी दूर करने के लिए **सरकारे दो आलम** सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत अली को कान में किसी द्वारा अज़ान कहेलवाने का इरशाद फ़रमाया । और इस इरशाद के अनूकरण में कइ सहाबा - ए - किराम - रिदवानुल्लाहे अलैहिम अजमइन ने अपनी गमग़ीनी दूर करने के लिए अज़ान देने का अमल किया । इन अज़ानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ़ अज़ान है बल्कि हदीष में सिर्फ कान में अज़ान देने का फ़रमान है, उस अज़ान के बाद नमाज़ का आदेश नहीं दिया गया ।

★ अग़र हर अज़ान के बाद नमाज़ जरूरी मान ली जाए तो जुम्आ के दिन, जुम्अे की नमाज़ के वकत दो मरतजा अज़ान दी जाती है और नमाज़ तो सिर्फ़ एक ही होती है । जब अज़ानें दो (२) होंती हंय तो फ़िर नमाज़ भी दो (२) होनी चाहिये । लेकिन नमाज़ सिर्फ़ अेक होती है । अेक अज़ान की नमाज़ कहां गइ ? हो सकता है कि तबलीगी जमाअत का कोई अनूयायी ये जवाब दे कि जुम्आ के दिन जो दो अज़ान होती हैं उसमें से एक अज़ान नमाज़ के लिए है और दूसरी अज़ान खुत्बे के लिए है ।

तो इस का जवाब ये है कि अग़र एक अज़ान खुत्बे के लिए है तो उसका मतलब ये हुआ कि खुत्बे के लिए भी अज़ान जरूरी है । तो फ़िर इद के दिन खुत्बे से पहले अज़ान क्यूं नहीं दी जाती ?

★ कइ मरतवा जब भयंकर बिमारी (प्लेग वि.) फैल जाता है । या कभी आग़ सैलाब (बाढ़) जैसी आफ़त आ जाती है और समग्र जनसमूदाय बेचैनी और ग़भराहट का अनूभय करता है । ऐसे ग़भराहट के समय अज़ान देने को बुजुर्गाने - दीन ने मुस्तहब कहा है । इन अज़ानों के बाद भी नमाज़ नहीं । सिर्फ अज़ान ही अज़ान है ।

★ अग़र मान लिया जाओ कि हर अज़ान के बाद नमाज़ जरूरी है, तो इस का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हर नमाज़ से पहले अज़ान आवश्यक है । क्युंकि अज़ान के बाद नमाज़ को जरूरी ठहरा कर अज़ान और नमाज़ का संबंध लाज़िम और मलज़ूम का कर दिया, यानी कि इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिती में दूसरे का अस्तित्त्व सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो ग़या । तो फिर इद की नमाज़, चाश्त की नमाज़, इश्राक की नमाज़, अव्वाबीन की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ तथा अन्य नमाज़ों से पहेले अज़ान क्यूं नहीं दी जाती ?

अज़ान के बाद नमाज़ को जरूरी समझने की हठधर्मी करने वालों को सिर्फ इत्ना ही कहना है कि जब तुम हर अज़ान के बाद नमाज़ को

जरूरी समज़ते हो, तो फिर हर नमाज़ से पहले अज़ान को जरूरी क्यूं नही समझते ? ये One way (अेक दिशा) क्यूँ ?

अंत में सिर्फ इत्ना कहेना है कि अग़र क़ब्र पर दफ़न के बाद अज़ान देना मना है, तो वो मना का कारण क्या है ? और क़ब्र पर अज़ान देने से कौन सा गुनाह लाज़िम होंगा ? शिर्क, कुफ्र, हराम, ना-जाइज़, बिदअत, मकरुह या अन्य कोइ ? बहोत बहोत तो यही कहेंगे कि बिदअत हैं । तो अग़र बिदअत है तो कौन से प्रकार की बिदअत है ? बिदअते अेतकादी ? बिदअते अमली ? बिदअते हसना ? बिदअते सय्येअह ? बिदअते मकरुह ? बिदअते हराम ? बिदअते जाइज़ ? बिदअते मुस्तहब ? या बिदअते वाजिब ?

लेकिन...............

ये तो साफ़ साबित है कि क़ब्र पर अज़ान देने से रोकना, और रोकने के लिए जबरदस्ती, शिद्दत (अतिश्योकित) करना और मार - पीट तथा झग़डे-फ़साद तक मामले को पहोंचा देना और मुसलमानों में फ़ित्ना ख़ड़ा करना निःशंक गुनाह है । कुरआन और हदीषों में मुसलमानों के दरमियान फ़ित्ना ख़डा करने की सख़्त मनाई की गई है और अैसा करने वालें का सख़्त गुनाह और अज़ाब की चेतावनी (वइद) दी गई है । मुसलमानों में फ़ूट डलवाना मो'मीन का नहीं बल्कि मुनाफ़िक का काम है ।

एक बात की भी यहाँ पर वज़ाहत (स्पष्टिकरण) कर लें कि अग़र किसी शहेर या ग़ांव में दफ़न के बाद अज़ान देने की रस्म (प्रणलिका) है और उसको तबलीग़ जमाअत वालों ने बंध करा भी दिया, तो क्या किया ? सिर्फ यही नां कि अल्लाह का नाम लेने से लोग़ों को रोका । इस से विशेष कुछ नहीं । कोई बहादूरी का काम तो नहीं । अल्लाह के बन्दों को अल्लाह का नाम लेने से रोका । और अल्लाह का नाम लेने से रोकने का काम किस का है ? इस का फ़ेंसला खुद वांचक ही करें । ज्यादा अफ़सोस की बात तो ये है, कि मजहब की आड़ (सहारा) लेकर अल्लाह का नाम लेन से रोकने की चेष्टा की जा रही है और मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफ़ाकी फैलाइ जा रही है ।

ज़िक्र रोके, फ़ज़्ल काटे , नुकस का जोयां रहे,
फिर करे मरदक के हूं, उम्मत रसूलुल्लाह की ।

(अज़ :- आला हज़रत)

खुदा - अे - तआला अपने हवीवे पाक व महेबूबे आजम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के सदके में हर मोमीन मुसलमान को शैतान के मक्रौ - फ़रैव से बचाओ और मज़हवे हक पर कायम रहेने और चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाओ । आमीन ॥

बारगाहे 'रज़ा' का अदना सवाली
अब्दुस्सत्तार हमदानी - पोरबंदर
(बरकाती - रज़वी - नूरी)

दिनांक :
२३-८-१९९६
जुम्आ मुबारक
स्थल :- नागपूर